

प्रेषक,

हरि चन्द्र सेमवाल,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड,  
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़  
देहरादून।

परिवहन अनुभाग-2

देहरादून:

दिनांक 08 जनवरी, 2018

विषय- सितारगंज में बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सितारगंज में बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-04/2012/136/IX/2008, दिनांक 30.03.2012 द्वारा धनराशि ₹427.10 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2011-12 में उक्त कार्य के लिए ₹75.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या 06, दिनांक 17 फरवरी, 2014 द्वारा ₹35.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या 44, दिनांक 06.12.2014 द्वारा ₹15.00 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश संख्या 523, दिनांक 07.11.2015 द्वारा ₹35.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या 65, दिनांक 09.08.2016 द्वारा धनराशि ₹53.33 लाख (कुल धनराशि ₹213.33 लाख) की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

2- महाप्रबंधक (तकनीकी), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून के पत्र संख्या-159 नि.मु./X/सी.एम.घो.-सितारगंज डिपो स्था./2016, दिनांक 13.11.2017 द्वारा पूर्व स्वीकृत धनराशि ₹0 ₹213.33 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹35.00 लाख (रूपये पैंतीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) उक्त धनराशि का उपयोग उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जाय।
- (ii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल आफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।
- (iii) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी
- (iv) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।



- (v) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- (vi) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
- (vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-5-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- (viii) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (ix) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
- (x) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरोपरांत परिवहन निगम के संबंधित सहायक अभियन्ता (सिविल), वित्त नियंत्रक तथा प्रबंध निदेशक के प्रतिहस्ताक्षरोपरांत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर चैक के माध्यम से तत्काल प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम देहरादून को उपलब्ध करा दी जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 24 के लेखाशीर्षक 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 050-भूमि तथा भवन 15-बस अड्डों का निर्माण 24- वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150) XXVII (1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 के प्रस्तर-7 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरि चन्द्र सेमवाल)  
अपर सचिव।

पु० संख्या-५०३ (1) / 2017 / 136 / IX-2 / 2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- महालेखाकार (आडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेश सी-1/105 इन्दिरानगर, देहरादून।
- 3- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
- 7- आहरण वितरण अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 8- वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय देहरादून।
- 9- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह पांगती)  
उप सचिव।